4/2/23 आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित।

प्रस्तागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, सरिया प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- बड़की सारिया, थाना- सरिया में स्थित खाता - 200, प्लाट - 1820 रकबा - 2.40 एकड़ उन्हें भूतपूर्व जमींदार द्वारा गैरनिबंधित हुकमनामा के माध्यम से हासिल

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है। प्रथम पक्ष के पिता समोध कोयरी को हुकमनामा से जमीन हासिल होने के पश्चात सरकारी रसीद करवाते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर जबरन हैंच करवाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में ऑन लाईन पंजी-II की छाया प्रति, सादा हुकमनामा की छायाप्रति, खालसा रसीद की छायाप्रति, 2019 में निर्गत सरकारी ऑन-लाईन रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष उपस्थित होकर लिखित कारण पृच्छा दाखिल किये हैं। द्वितीय पक्ष के अनुसार विपक्षी सं०-1 एवं 2 के पूर्वजों के द्वारा वर्ष 1942 में एवं वर्ष 1972 में विक्रय-पत्र के माध्यम से द्वितीय पक्ष के क्रम सं०-3 द्वारा क्रय किया गया है। क्रय के पश्चात प्लाट सं.-1820

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	में आवासीय मकान का निर्माण किया गया। विपक्षी सं० 1 & 2 द्वारा एक विक्रय इकरारनामा विपक्षी सं०-3 के साथ किया गया तथा दखल-कब्जा दिलाया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में एक वाद भी दायर किया गया है, जो वहाँ विचाराधीन है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के सम्बन्ध में विक्रय पत्र सं०-1441 दिनांक 27/03/1992 की छाया प्रति, बिक्री इकरारनामा की छाया प्रति, परिवाद सं०-244/2023 की छाया प्रति, विक्रय पत्र सं०-1076 दिनांक 26/2/1979 की छाया प्रति, ऑन लाईन पंजी-II की छायाप्रति जो हजारीलाल अग्रवाल एवं निर्मल कुमार अग्रवाल से संधारित है, खालसा रसीद की छायाप्रति	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	एवं रिटर्न की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी सरिया एवं थाना प्रभारी सरिया का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी सरिया के अनुसार प्रश्नगत भूमि औरमजरुवा खास खाते की है तथा पूर्व से समोध कोईरी, पिता - वजीर कोईरी का दखल चला आ रहा है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के इमारीलाल व०।० के उत्तराधिकारी द्वारा बलबरन दखल कर चाहरदिवारी दिया जा रहा है। थाना प्रभारी, सरिया के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का चाहरदिवारी एवं छोटा मकान निर्मित है। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से दखल- कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंचल अधिकारी के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अनुसार प्रथम पक्ष का
दाखिल कब्जा है जबकि
थाना-प्रभारी के प्रतिवेदन
के अनुसार द्वितीय पक्ष
का मकान एवं चाहरदिवारी
है।

साथ ही प्रश्नगत
भूमि गैरमजरूआ खास
खाते की भूमि है तथा
उभय पक्ष सादा हुकमनामा
एवं तत्संबन्धी रिर्टन
के आधार पर स्वामित्व
का दावा कर रहे हैं।
अंचल अधिकारी द्वारा
अपने प्रतिवेदन में हुकमनामा
के आधार पर कब
जमाबंदी कायम की गई
है तथा गैरमजरूआ भूमि
का मॉंग/लगान किस
पदाधिकारी के आदेश
से निर्धारित किया गया
है, स्पष्ट नहीं किया गया
है। द. प्र. स. की धारा-
144 के अंतर्गत दस्तावेजों
की विस्तृत समीक्षा नहीं
की जा सकती है, आदेश
पारित करने हेतु दखल
कब्जा एक पुख्ता आधार
होता है, जो इस वाद में

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है। उक्त परिस्थिति में द.प्र.स. की धारा-144 में कोई अंतिम आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, साथ ही द.प्र.सं. की धारा 144(4) के अंतर्गत विवेचना की अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। अत: उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय में वाद के निपटारे के लिये जायें। साथ ही अंचल अधिकारी, सरिया को निर्देश दिया जाता है कि उक्त जमीन के मौजा एवं हुकमनामा/ रैय्यत की जाँच कर यथोचित कार्यवाई करें। इसके साथ ही वाद की कार्यवाई द.प्र.सं. की धारा 144(4) के तहत समाप्त की जाती है। ह० 4/7/23 SDM.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.28 10:20:35 +05:30
Location: 192.168.1.10